

न्यायालय उपर्युक्त अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अपवाच गुलामा (सा) बनाम गुलामीत कोठे मारु

प्रकरण संख्या १६ / २०११ अन्तर्गत धारा १४१, १४२, १४३, १४४

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर जो इस पालना
२०/११/११	<p>अधिवक्तागण अविभक्ता वादी अधिवक्ता के द्वारा, वादी की प्रत्येक संभव स्थिति में कोई दस्तावेजात व वादिसात को रिकार्ड पर लेने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पूर्व में कोई अवसर दिए गए लिहाजा दस्तगत प्रकरण में न्यायालय का समर्थ ववाद किया जा रहा है। अतः वादी का वादपत्र अदालतकाल में खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णीत होकर नगबुर से का होकर दस्तल दफ्तार हो।</p>	



उपर्युक्त अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर